पत्रांक–7/विविध (भू–मापी)–05–02/2024– 24 (7)/रा0

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

प्रेषक,

सी0 के0 अनिल,
प्रधान सचिव।

सेवा में,

सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/सभी समाहर्त्ता,
सभी अपर समाहर्त्ता/सभी भूमि सुधार उप समाहर्त्ता,
सभी अंचलाधिकारी,
बिहार।

पटना–15, दिनांक– 13/01/26

विषय :– **भूमि नापी की नई व्यवस्था के क्रियान्वयन के संबंध में।**

प्रसंग :– **(i) बिहार काश्तकारी अधिनियम, 1885 (यथा–संशोधित)**
(ii) बिहार काश्तकारी (संशोधन) अधिनियम, 2017
(iii) बिहार काश्तकारी नियमावली, 1885 के नियम 23(2)(i)
(iv) बिहार काश्तकारी (संशोधन) नियमावली, 2018
(v) बिहार काश्तकारी (संशोधन) नियमावली, 2023

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में अवगत कराना है कि सरकार के सात निश्चय–3 (2025–30) के अंतर्गत सातवें स्तंभ में "Ease of Living" के लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु भूमि मापी की प्रक्रिया को अधिक सरल, पारदर्शी, समयबद्ध एवं नागरिक–अनुकूल बनाने का निर्णय लिया गया है।

2. उक्त उद्देश्य की प्राप्ति हेतु बिहार काश्तकारी अधिनियम, 1885 (समय–समय पर यथा संशोधित), बिहार काश्तकारी (संशोधन) नियमावली, 1885 (समय–समय पर यथा संशोधित) तथा संबंधित परिपत्रों के प्रावधानों के आलोक में भूमि मापी की नई व्यवस्था को निम्नवत लागू किया जाता है :–

3. मापी प्रक्रिया

आवेदक को आवेदन ऑनलाइन करना होगा तथा आवेदन के समय पूछे जाने वाले प्रश्न भूमि अविवादित (सभी पक्षकारों में आपसी मतैक्यता) है या विवादित (जहाँ पक्षकारों में मतैक्यता का अभाव) है का चयन करना होगा। विवादित होने की स्थिति में अंचलाधिकारी विवाद को परिभाषित करेंगे।

अंचलाधिकारी द्वारा विवादित मापी निम्न प्रकार से परिभाषित किए जा सकते हैं :–

1	जहाँ स्वामित्व का प्रश्न हो, परन्तु सक्षम न्यायालय द्वारा स्थगन आदेश निर्गत न हो।
2	दण्ड प्रक्रिया संहिता (IPC) की धारा 107/143/144 एवं तदनुसार भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 45/189/190 के अंतर्गत प्रकरण।
3	राजस्व न्यायालय में लंबित वाद।
4	SHO–CO के संयुक्त शनिवारीय बैठक से संबंधित मामले।
5	चौहद्दीदारों के बीच भूमि विवाद।
6	हिस्सेदारों/पाटीदारों के बीच भूमि विवाद।
7	महिलाओं का वंशावली में नाम अंकित नहीं रहने जैसे वैधानिक हिस्से से संबंधित विवाद।
8	अवैध अतिक्रमण से संबंधित भूमि।
9	अन्य कोई भी मामला, जिसमें प्रथम दृष्टया विवाद परिलक्षित हो (उदाहरणार्थ–नक्शा, मुश्तकिल आदि से संबंधित विवाद)।

अविवादित तथा विवादित मापी की प्रक्रिया निम्नवत होगी :

अविवादित मापी (सभी पक्षकारों में आपसी मतैक्यता)	विवादित मापी (जहाँ पक्षकारों में मतैक्यता का अभाव)
1. आवेदन के साथ ही मापी शुल्क का भुगतान।	1. आवेदन के साथ ही मापी शुल्क का भुगतान।

2. मापी शुल्क–**500**/खेसरा ग्रामीण क्षेत्र तथा **1000**/खेसरा शहरी क्षेत्र (तत्काल मापी के मामले में यह राशि दोगुनी होगी) 3. आवेदन के साथ उपलब्ध कराए गए चौहद्दीदार को स्वतः नोटिस निर्गत करना तथा सात दिन के अंदर किसी भी दिन उपलब्ध अमीन के आधार पर सिस्टम द्वारा मापी की तिथि निर्धारित करना। 4. यह मापी अंचल अमीन/विशेष सर्वेक्षण अमीन द्वारा की जाएगी। 5. मापी के उपरांत मापी प्रतिवेदन ऑनलाइन कर देना। 6. मापी में लगने वाला कुल समय–**7 दिन।**	2. अंचलाधिकारी द्वारा भूमि विवाद की जाँच करना, भूमि विवाद को परिभाषित करना। 3. मापी शुल्क–**500**/खेसरा ग्रामीण क्षेत्र तथा **1000**/खेसरा शहरी क्षेत्र (तत्काल मापी के मामले में यह राशि दोगुनी होगी) 4. आवेदन प्राप्त होते ही अंचलाधिकारी के द्वारा **3 दिन** के भीतर मापी की तिथि तथा अमीन निर्धारित कर दी जाएगी। यह तिथि **7 दिन** के भीतर की होगी। साथ ही तिथि निर्धारण के बाद सभी चौहद्दीदार को सिस्टम द्वारा नोटिस निर्गत किया जाएगा। 5. अमीन द्वारा मापी के उपरांत अपना प्रतिवेदन ऑनलाइन जमा किया जाएगा। 6. मापी में लगने वाला कुल समय–**11 दिन।**

उपरोक्त सभी प्रकार के मामलों (विवादित/अविवादित दोनों) में अमीन द्वारा मापी का प्रतिवेदन मापी करने के पश्चात् आवेदन की तिथि के **14वें दिन** पोर्टल पर अपलोड करना अनिवार्य होगा।

4. नोटिस का तामिला :–

1. विवादित मामलों में चौकीदार द्वारा।
2. कार्यालय परिचारी द्वारा (अविवादित/आपसी मतैक्यता)
3. पंजीकृत डाक (प्राप्ति स्वीकृति सहित)।

नोट : आवेदन के साथ संलग्न सभी मोबाईल नंबर पर SMS के माध्यम से सिस्टम द्वारा स्वतः सूचना दी जाएगी।

5. मापी महाअभियान :–

मापी की महत्ता एवं रैयतों की भूमि के सीमांकन के संबंध में अधिकार को देखते हुए विभाग द्वारा निर्णय लिया गया है कि दिनांक–26.01.2026 से 31.03.2026 तक मापी के लंबित वादों (31 दिसम्बर, 2025 तक प्राप्त आवेदनों) को शून्य करने हेतु मापी महाअभियान सभी जिलों में चलाया जायेगा। अतः यह भूमि मापी व्यवस्था **दिनांक–26.01.2026** से प्रभावी होगी।

6. विशेष सर्वेक्षण अमीनों की प्रतिनियुक्ति :–

(i) विशेष सर्वेक्षण अमीनों का उपयोग सभी जिलों में 26.01.2026 से 31.03.2026 तक किया जा सकेगा। बंदोबस्त पदाधिकारी विशेष सर्वेक्षण अमीनों को समाहर्त्ता के नियंत्रणाधीन आवश्यकतानुसार प्रतिनियुक्त करेंगे।

(ii) समाहर्त्ता प्रति हल्का में एक अमीन के मापदण्ड के अनुसार विशेष सर्वेक्षण अमीन की अधियाचना कर सकेंगे।

7. समाहर्त्ता पूरे मापी अभियान के नियंत्री पदाधिकारी होंगे।

अनु० :–यथोक्त।

विश्वासभाजन,

13/01/2026

(सी0 के0 अनिल)
प्रधान सचिव।

ज्ञापांक–........24 (7)........ **दिनांक**–......13.01.26......

प्रतिलिपि :–सभी बंदोबस्त पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

13/01/2026

(सी0 के0 अनिल)
प्रधान सचिव।

d:\1shahabuddin\.sec-7\neeteesh sir\2026\mapi 13.01.2026.docx

अनु - 1

प्रपत्र-36A(अमीन द्वारा भू-मापी प्रतिवेदन का मानक प्रारूप)

बिहार काश्तकारी (संशोधन) नियमावली के आलोक में

प्रतिवेदन संख्या: .... **दिनांक:** ....

1. आवेदन एवं आवेदक का विवरण

- **आवेदन संख्या:**...
- **आवेदक का नाम:** ....
- **पिता/पति का नाम:** ....
- **पता, मोबाईल :** ....
- **मापी हेतु निर्धारित तिथि:** ....
- **मापी का प्रकार :**

☐ सामान्य मापी ☐ तत्काल मापी

2. मापी गई भूमि का विवरण

जिला	**अंचल**	**राजस्व मौजा**	**थाना नं**	**खाता सं**	**खेसरा सं**	**रकबा (एकड़/डिसमिल) अभिलेखानुसार**	**रकबा (एकड़/डिसमिल) मापी अनुसार**

आवेदित खेसरा की चौहद्दी (अभिलेखानुसार):

- **उत्तर:** .... **दक्षिण:** .... **पूर्व:** .... **पश्चिम:** ....

3. महत्वपूर्ण चेकलिस्ट (SOP के अनुसार अनुपालन)

अमीन द्वारा निम्नलिखित बिन्दुओं का सत्यापन (हाँ/नहीं):

- क्या संबंधित भू-खण्ड का मानचित्र (सी.एस./आर.एस./चकबंदी) उपलब्ध है?
- क्या मानचित्र का स्केल एवं मापी के उपकरणों की जाँच की गई है?
- क्या उत्तर दिशा का अंकन मानचित्र पर किया गया है?
- क्या मापी हेतु 'मुस्तकिल' (Fixed Points - जैसे तिमेड़ा, चौमेड़ा, कुआँ आदि) कायम किया गया है?
- क्या मापी के दौरान 'फील्ड बुक' (Field Book) का संधारण किया गया है?
- क्या मापी की सूचना संबंधित चौहद्दीदारों/हितबद्ध रैयतों को पूर्व में दी गई थी?
- क्या मापी कार्य मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) के अनुसार किया गया ?

4. मापी का विवरण एवं नजरी नक्शा (अपलोड करें)

(यहाँ अमीन द्वारा मापी गई रेखाओं का खाका (Outline) और फीट/मीटर में उसकी पैमाइश का विवरण दिया जाएगा)

- **स्थापित मुस्तकिल बिन्दु (X, Y, Z):** ....
- **अर्जित रकबा की विमा (Dimension):** ....
- **विवादित/अतिक्रमित क्षेत्र का विवरण (यदि कोई हो):** ....

यहाँ मापी के स्केच/नक्शा की इमेज/PDF अपलोड करें। यहाँ मापी के दौरान ली गई जियो-टैग्ड एवं समयांकित (Geotagged & Timestamped) फोटो संलग्न करें।

- **मापी की विधि :**

☐ फील्ड चेन/टेप

☐ डिजिटल उपकरण/ETS/ GPS (यदि लागू हो)

5. साक्षियों/चौहद्दीदारों की विवरणी

मापी के समय उपस्थित व्यक्तियों/साक्षियों का विवरण:

क्र.सं.	नाम	पिता का नाम	पता	मोबाइल नंबर	हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान

6. अमीन का मंतव्य एवं हस्ताक्षर

मैं प्रमाणित करता/करती हूँ कि उपर्युक्त भूमि की मापी दिनांक __________ को नियमानुसार एवं मानक संचालन प्रक्रिया(SOP) के अनुसार की गई है तथा यह प्रतिवेदन सत्य एवं सही है। (अपने मन्तव्य का पीडीएफ़ अपलोड करें ।)

अमीन का नाम: ....**पदनाम:** ....**अंचल का नाम:** ....

हस्ताक्षर: ....

7. अस्वीकरण (Disclaimer)

महत्वपूर्ण सूचना: यह मापी प्रतिवेदन केवल आवेदित भूमि की भौतिक स्थिति और सीमाओं के सीमांकन हेतु तैयार किया गया है। यह प्रतिवेदन या इसके आधार पर पारित कोई भी आदेश संबंधित भूमि के **स्वामित्व (Title) या स्वत्व संबंधी अधिकारों का सृजन, निर्धारण या फैसला नहीं करता है।** भूमि के स्वामित्व संबंधी विवादों का निपटारा केवल सक्षम सिविल न्यायालय द्वारा ही किया जा सकता है।

निर्देश: अमीन इस प्रतिवेदन को मापी के पश्चात अधिकतम 3 कार्य दिवसों के भीतर पोर्टल पर अपलोड करना सुनिश्चित करेंगे।

अनु - 2

Emapi Report: 12.01.2026

SL	District	Application Received	Rejected Application	Payment Request Sent	Payment Done	Mapi Date Assigned	Pending for Mapi	Approved Mapi Report and sent to Applicant	Pending for Approval	Disposal %
1	Araria	7702	1740	5514	3581	3397	355	3024	18	84.45
2	Arwal	2161	772	1095	844	812	86	709	17	84.00
3	Aurangabad	6916	1599	5095	3419	3237	407	2795	35	81.75
4	Banka	9788	2000	6776	4566	4364	307	4034	23	88.35
5	Begusarai	7323	1784	5386	3920	3873	358	3461	54	88.29
6	Bhagalpur	17458	4030	12168	8934	8258	1395	6813	50	76.26
7	Bhojpur	9078	2323	6409	4572	4334	908	3392	34	74.19
8	Buxar	5461	1614	3696	2504	2468	162	2297	9	91.73
9	Darbhanga	9819	1689	7925	5733	5653	777	4786	90	83.48
10	East Champaran	11803	3003	8126	5870	5779	477	5256	46	89.54
11	Gaya	14602	3362	10123	7553	7346	1180	6058	108	80.21
12	Gopalganj	5657	1288	4191	3131	3029	357	2644	28	84.45
13	Jamui	3304	886	2162	1392	1346	98	1224	24	87.93
14	Jehanabad	3826	1438	2290	1648	1566	137	1391	38	84.41
15	Kaimur	8702	994	7540	5051	4987	547	4414	26	87.39
16	Katihar	12486	3014	8952	6695	6459	1215	5165	79	77.15
17	Khagaria	8102	1891	5276	3669	3581	260	3314	7	90.32
18	Kishanganj	8611	622	7689	5380	5278	825	4430	23	82.34
19	Lakhisarai	4453	452	3867	2684	2606	505	2100	1	78.24
20	Madhepura	11008	2382	8263	6138	5827	889	4840	98	78.85
21	Madhubani	6070	1466	4370	3062	2964	387	2536	41	82.82
22	Munger	8192	2003	5567	4285	4140	777	3314	49	77.34
23	Muzaffarpur	19350	3633	14785	10665	10145	658	9369	118	87.85
24	Nalanda	8389	1680	6354	4711	4654	282	4353	19	92.40
25	Nawada	8972	907	7964	6128	6066	564	5487	15	89.54
26	Patna	25146	5157	19034	14217	13544	4332	9097	115	63.99
27	Purnea	18078	2298	15530	11032	10819	2081	8602	136	77.97
28	Rohtas	14208	4129	9256	6279	6006	1460	4410	136	70.23
29	Saharsa	7989	1277	5920	3789	3707	475	3218	14	84.93
30	Samastipur	10862	2652	7947	6139	6032	691	5306	35	86.43
31	Saran	7671	1948	5371	3802	3696	467	3193	36	83.98
32	Sheikhpura	2369	181	2164	1452	1443	65	1372	6	94.49
33	Sheohar	2586	550	2005	1451	1389	87	1298	4	89.46
34	Sitamarhi	10839	2050	8275	5755	5637	648	4945	44	85.93
35	Siwan	6917	1236	5503	4166	4120	378	3700	42	88.81
36	Supaul	12870	641	11928	8863	8512	1002	7447	63	84.02
37	Vaishali	12801	2448	10068	6984	6663	796	5773	94	82.66
38	West Champaran	10411	2508	7217	5140	5004	376	4580	48	89.11
	Grand Total	**361980**	**73647**	**271801**	**195204**	**188741**	**26771**	**160147**	**1823**	**82.04**